

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 26.04.2024

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बैनाम करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना एम्स के नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश कुमार अरूण मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2023 धारा 419,420,467,468,471,506,120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हरिहर यादव पुत्र कम्मल यादव निवासी बसडीला गुनाकर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के जमीन का वैध स्वामी न होते हुए भी कूटरचित व अवैध दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से जमीन बैनामा करने के संबंध में दिनांक 11.11.2023 को प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरिहर यादव पुत्र कम्मल यादव निवासी बसडीला गुनाकर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 52/2023 धारा 419,420,467,468,471,506,120बी भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार अरूण थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 दीप शिखा रंजन थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का0 शशिकान्त सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर